सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
चैत्र 01, गुरूवार, *शाके* 1946-मार्च 21, 2024 *Chaitra 01, Thursday , Saka 1946- March 21 , 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2024

जी.एस.आर.205 :-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वित्त/कर/2023-60 दिनांक 27.09.2023 में इसके द्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के खण्ड 1 की तालिका के,-

(i) क्रम संख्यांक 4, 5 और 6 के सामने कॉलम संख्यांक 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति "(xiii) टपूकड़ा" के पश्चात् अभिव्यक्ति "(xiv) कोटपूतली" जोड़ी जाएगी।

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 23, 24 और 25 एवं उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

23.	दूदू	(i)	उप-रजिस्ट्रार, दूदू	(i) दूदू (ii) फागी (iii) मौजमाबाद (iv) जयपुर (राजस्व जिला जयपुर एवं जयपुर (ग्रामीण) दोनों के अधीन आने वाले क्षेत्र सहित) (v) सांगानेर (राजस्व जिला जयपुर एवं जयपुर (ग्रामीण) दोनों के अधीन आने वाले क्षेत्र सहित) (vi) आमेर (राजस्व जिला
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, फागी	
		(iii)	तहसीलदार, मौजमाबाद	
24.	जयपुर	(i)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-प्रथम	
		(ii)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-द्वितीय	
		(iii)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-तृतीय	
		(iv)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-चतुर्थ	
		(v)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-पंचम	
		(vi)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-षष्ठम	
		(vii)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-सप्तम	
		(viii)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-अष्ठम	
		(ix)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-नवम	
		(x)	उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-दशम	

		(xi) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-एकादश	जयपुर एवं जयपुर (ग्रामीण) दोनों के अधीन आने वाले क्षेत्र सहित)
		(xii) उप-रजिस्ट्रार, जयपुर-द्वादश	
		(xiii) उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-प्रथम	
		(xiv) उप-रजिस्ट्रार, सांगानेर-द्वितीय	
		(xv) उप-रजिस्ट्रार, आमेर	(vii) कालवाड (राजस्व जिला जयपुर एवं जयपुर (ग्रामीण) दोनों के अधीन आने वाले क्षेत्र सहित)
		(xvi) तहसीलदार, कालवाड (नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अन्तर्गत आने वाला भाग)	
25.	जयपुर (ग्रामीण)	(i) तहसीलदार, कालवाड (नगर निगम जयपुर ग्रेटर के अन्तर्गत आने वाले भाग को छोडकर)	(viii) बस्सी (ix) चाकसू (x) चौमूं (xi) जालसू (xii) रामपुरा डाबडी (xiii) जोबनेर (xiv) जमवारामगढ (xv) माधोराजपुरा (xvi) गोविन्दगढ़ (xvii) बगरू (xviii) मुण्डोता (xix) खेजरोली
		(ii) उप-रजिस्ट्रार, बस्सी	
		(iii) उप-रजिस्ट्रार, चाकसू	
		(iv) उप-रजिस्ट्रार, चौंमू	
		(v) तहसीलदार, जालसू	
		(vi) तहसीलदार, रामपुरा डाबड़ी	
		(vii) तहसीलदार, जोबनेर	
		(viii) उप-रजिस्ट्रार, जमवारामगढ़	
		(ix) उप-रजिस्ट्रार, माधोराजपुरा	
		(x) नायब तहसीलदार, गोविन्दगढ़	
		(xi) नायब तहसीलदार, बगरू	
		(xii) नायब तहसीलदार, मुण्डोता	
		(xiii) नायब तहसीलदार, खेजरोली	
		(xiv) उप-रजिस्ट्रार, शाहपुरा	शाहपुरा
		(xv) उप-रजिस्ट्रार, सांभर	सांभर

"

[एफ.2(6)वित्त/कर/2023-70]

राज्यपाल के आदेश से,

जसवंत सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.